REGD. NO. D. L.-33004/99



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 07, 1935
No. 214]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 07, 1935

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

**का.आ. 263(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 910 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2010 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में, मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में स्तम्भ (1), (2) और (3) में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
59	इंदौर – झाबुआ - मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा (मध्य प्रदेश राज्य में)	किमी 9.500 से किमी 171.000

[फा.सं. एनएच-14013/5/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 910 (अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

**S.O. 263(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 910(E), dated the 21<sup>th</sup> April, 2010 namely :—

In the Table to the said notification, the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively in respect of State of Madhya Pradesh shall be substituted, namely :—

"59	Indore-Jhabua-Madhya Pradesh/Gujarat border	From Km. 9.500 to Km. 171.000.
	(in the State of Madhya Pradesh)	

[F. No. NH-14013/5/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 910(E), dated the 21st April, 2010.

## अधिसूचना

# नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

**का.आ. 264(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [किमी 243.600 से किमी 651.500 (रीवा से कटनी से मध्य	मध्य
	प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) तक को छोड़कर], सं.12, सं. 12ए, सं. 26ए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27,	प्रदेश राज्य
	सं. 59 [किमी 9.500 से  किमी 171.000 (इंदौर – झाबुआ – म. प्र./गुजरात सीमा) खंड	राज्य सरकार"
	को छोड़कर], सं. 59ए, सं. 69 (किमी 0.60 से किमी 8.300 और किमी 20.700 से किमी	
	256.400 तक को छोड़कर), सं. 75 [किमी 0.000 से किमी 85.000 (ग्वालियर – झांसी	
	खंड के ग्वालियर बाइपास सहित ग्वालियर से म. प्र./उ. प्र. सीमा) तक को छोड़कर], सं. 76	

सारणी

[किमी 0.000 से किमी 30.00 तक (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी) तक को छोड़कर], सं. 78, सं. 86, सं. 92 का उतना हिस्सा जो कि मध्य प्रदेश राज्य के भीतर अवस्थित है।

## [फा.सं. एनएच-14013/5/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 2797 (अ), तारीख 16 सितंबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 27th January, 2014

**S.O. 264(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

### TABLE

(1)	(2)	(3)
"13.	So much of National Highways No. 7 [excluding from Km. 243.600 to Km. 651.500 (Rewa to Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra border)], No.12, No. 12A, No. 26A, No. 27, No. 59 [excluding from km. 9.500 to km. 171.000 (Indore-Jhabua-MP/Gujarat border)], No. 59A, No. 69 (excluding from km. 0.60 to km. 8.300 and from km. 20.700 to km. 256.400), No.75 [excluding from km. 0.000 to 85.000 of Gwalior to MP/UP Border including Gwalior bypass of Gwalior-Jhansi section], No.76 [excluding from Km. 0.000 to Km. 30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan border to Shivpuri)], No.78, No. 86, No. 92 as are situated within the State of	State Government of Madhya Pradesh.".
	Madhya Pradesh.	

#### [F. No. NH-14013/5/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2797 (E), dated the 16th September, 2013.